मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 48

महिला और बाल विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1459.80	52.00	1511.80	1349.80	49.59	1399.39	1649.60	55.00	1704.60
पूंजी		*0.20*	*...*	*0.20*	*0.20*	*...*	*0.20*	*0.40*	*...*	*0.40*
जोड़		**1460.00**	**52.00**	**1512.00**	**1350.00**	**49.59**	**1399.59**	**1650.00**	**55.00**	**1705.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.50	5.60	6.10	0.50	6.19	6.69	0.50	6.20	6.70
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
बाल कल्याण										
2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2235	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00
	3601	919.00	...	919.00	919.00	...	919.00	1173.00	...	1173.00
	3602	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
	जोड़	*935.00*	*...*	*935.00*	*935.00*	*...*	*935.00*	*1198.00*	*...*	*1198.00*
3. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं	2235	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	26.00	...	26.00
	3601	178.00	...	178.00	138.00	...	138.00	194.00	...	194.00
	जोड़	*180.00*	*...*	*180.00*	*140.00*	*...*	*140.00*	*220.00*	*...*	*220.00*
4. आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम	2235	6.00	...	6.00	4.60	...	4.60	5.00	...	5.00
	3601	28.00	...	28.00	15.10	...	15.10	34.70	...	34.70
	3602	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	जोड़	*35.00*	*...*	*35.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*40.00*	*...*	*40.00*
5. दिवस पोषण केन्द्र	2235	4.50	14.00	18.50	4.50	13.80	18.30	7.45	14.50	21.95
6. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	2235	0.50	1.50	2.00	0.50	1.14	1.64	0.01	1.50	1.51
7. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (युनिसेफ)को अंशदान	2235	...	3.60	3.60	...	3.60	3.60	...	4.00	4.00
8. प्रारम्भिक बाल-शिक्षा– स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	0.30	2.00	2.30	0.30	1.60	1.90	0.01	1.50	1.51
9. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवम् बाल विकास राष्ट्रीय संस्था	2235	1.50	5.30	6.80	1.50	4.90	6.40	2.50	5.90	8.40
10. अन्य योजनाएं	2235	2.92	0.29	3.21	2.70	0.27	2.97	7.23	0.31	7.54
जोड़ बाल कल्याण		**1159.72**	**26.69**	**1186.41**	**1104.50**	**25.31**	**1129.81**	**1475.20**	**27.71**	**1502.91**
महिला कल्याण										
11 महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
12 बालिका समृद्दि योजना	2235	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
	3601	26.80	...	26.80	20.80	...	20.80	24.80	...	24.80
	3602	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17
	जोड़	*27.00*	*...*	*27.00*	*21.00*	*...*	*21.00*	*25.00*	*...*	*25.00*
13. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	2235	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.98	...	8.98
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*7.02*	*...*	*7.02*	*7.02*	*...*	*7.02*	*9.00*	*...*	*9.00*
14 प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	18.00	...	18.00
15. महिला समृद्धि योजना	2235	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	8.00	...	8.00
16. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	2235	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
17. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	14.00	11.00	25.00	14.00	10.70	24.70	15.00	12.00	27.00
18 प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	2235	13.00	...	13.00	11.00	...	11.00	18.00	...	18.00
19. अल्पकालिक गृह	2235	12.00	2.51	14.51	8.00	1.77	9.77	10.00	2.84	12.84
20. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	4.00	...	4.00
21. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	5.00	...	5.00
22. स्वशक्ति परियोजना (महिला विकास के लिए एकीकृत परियोजनाएं)	2235	15.00	...	15.00	8.00	...	8.00	15.00	...	15.00
23. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	3.00	...	3.00	1.51	...	1.51	1.00	...	1.00
24. इंदिरा महिला योजना	3601	17.00	...	17.00	2.00	...	2.00	19.25	...	19.25
	3602	1.00	...	1.00	0.21	...	0.21	0.25	...	0.25
	जोड़	*18.00*	*...*	*18.00*	*2.21*	*...*	*2.21*	*19.50*	*...*	*19.50*
25. अन्य कार्यक्रम	2235	6.06	0.05	6.11	3.56	0.05	3.61	19.79	0.10	19.89
जोड़-महिला कल्याण		**150.88**	**13.56**	**164.44**	**112.10**	**12.52**	**124.62**	**170.29**	**14.94**	**185.23**
जोड़-समाजिक सुरक्षा और कल्याण		**1310.60**	**40.25**	**1350.85**	**1216.60**	**37.83**	**1254.43**	**1645.49**	**42.65**	**1688.14**
पोषाहार										

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
26. अन्य स्कीमें	2236	2.70	6.15	8.85	2.70	5.57	8.27	3.60	6.15	9.75
	4059	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.40	...	0.40
	जोड़	*2.90*	*6.15*	*9.05*	*2.90*	*5.57*	*8.47*	*4.00*	*6.15*	*10.15*
कुल-पोषाहार		**2.90**	**6.15**	**9.05**	**2.90**	**5.57**	**8.47**	**4.00**	**6.15**	**10.15**
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2235	146.00	...	146.00	130.00	...	130.00	...	...	...
	2552	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	*146.00*	*...*	*146.00*	*130.00*	*...*	*130.00*	*0.01*	*...*	*0.01*
कुल जोड़		***1460.00***	***52.00***	***1512.00***	***1350.00***	***49.59***	***1399.59***	***1650.00***	***55.00***	***1705.00***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	1310.60	...	1310.60	1216.60	...	1216.60	1645.49	...	1645.49
3. पोषाहार	22236	2.90	...	2.90	2.90	...	2.90	4.00	...	4.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	146.00	...	146.00	130.00	...	130.00	0.01	...	0.01
जोड़		**1460.00**	**...**	**1460.00**	**1350.00**	**...**	**1350.00**	**1650.00**	**...**	**1650.00**

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **समेकित बाल विकास सेवा स्कीम** : छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवाएं, पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल होती है। यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह स्कीम देश में 4348 विकास ब्लाकों तथा प्रमुख शहरी झोंपड़ पट्टयों में चलायी जा रही है। अनुमानों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी मुख्यतया संशोधित वित्तीय मानदण्डों और आईसीडीएस स्कीम का देश में विस्तार होने के कारण है।

3. **विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई. सी.डी.एस.-II** : परियोजना पुर्नगठन से पहले बिहार के 210 ब्लाकों में और मध्य प्रदेश के 244 ब्लाकों में प्रचालन में थी। बिहार राज्य के बिहार तथा झारखंड राज्यों में पुर्नगठन के बाद परवर्ती नाम वाले राज्यों को क्रमशः 84 और 126 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश राज्य के छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में पुर्नगठन के बाद, इन राज्यों को क्रमशः 88 और 156 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। आईसीडीएस-II परियोजना के विस्तार और पुर्नसंरचना के बाद इसमें विस्तारित अवधि के लिए आंध्र प्रदेश में आईसीडीएस-एपीईआर परियोजना भी शामिल कर ली गई है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस-II परियोजना केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रचालन में है।

इन परियोजनाओं के लिए व्यापक रूप से विश्व बैंक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य आई.सी.डी.एस. क्रियाकलापों के अलावा, कतिपय अतिरिक्त घटक जैसे किशोर लड़कियों हेतु स्कीमों, चयन के आधार पर ब्लाक स्तर पर गोदाम-सह-सी.डी.पी.ओ. कार्यालय तथा ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण तथा संचार तथा परियोजना प्रबन्धन निवेशों के सुदृढीकरण भी शामिल किए गए हैं। 2001-2002 के लिए 220 करोड़ रु. के आवंटन 154 करोड़ रु. विश्व बैंक सहायता है।

4. **आईसीडीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम** : समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, चयनित प्रशिक्षण संस्थानों, तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए व्यय के भाग के रूप में विश्व बैंक की सहायता भी उपलब्ध है। 2001-2002 के लिए 40 करोड़ रु. के आवंटन में, 28 करोड़ रु. विदेशी सहायता है।

5. **क्रेच/दिवस पोषण केन्द्र** : इस स्कीम का उद्देश्य समाज के ऐसे कमजोर वर्गों से संबंधित परिवार जिनकी मासिक आय 1800 रुपए से अधिक नहीं है, उनके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिवस पोषण सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के अधीन जो बाल सुश्रुषा सदन चलाए जाते हैं, ऐसे बच्चों, जिनके अभिभावक कार्य स्थलों पर होते हैं अथवा बीमारी के कारण अक्षम होते हैं और उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते है, के स्वास्थ्य निरीक्षण, पूरक पोषाहार, डाक्टरी जांच तथा रोगमुक्ति उपचार आदि की व्यवस्था भी करते हैं । इस योजना को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के दो अन्य स्वयंसेवी संगठनों के जरिए कार्यान्वित किया गया है ।

6. **बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान से स्वयं सेवी संगठनों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। इसमें तीन राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के जरिए बाल वाड़ियों में जाने वाले 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु समूह के बच्चे शामिल हैं। इस स्कीम में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो आईसीडीएस में शामिल नहीं किये जाते।

7. **संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) को अंशदान**: संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि में भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है । अमरीकी डालर के मूल्य में वृद्दि के कारण बजट अनुमान 2001-2002 में प्रावधान बढ़ाया गया है।

8. **प्रारम्भिक बाल शिक्षा** : इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के आधार का विस्तार करने और समर्थन देने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अलाभान्वित वर्गों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना है। यह स्कीम उन क्षेत्रों को शामिल करती है जो आईसीडीएस में कवर नहीं किये जाते।

9 **लोक सहयोग और बाल विकास राष्ट्रीय संस्था (एन.आई.पी. सी.सी.डी.)**: इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास की व्यापक समीक्षा और राष्ट्रीय नीति के अनुगमन में कार्यक्रमों के स्वैच्छिक कार्रवाई के विकास और प्रोन्नति के लिए है। यह संस्था अनुसंधान एवम् मूल्यांकन, अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वाद-विवाद, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करती है, यह लोक-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना प्रदान करती है, अपनी तीन क्षेत्रीय केन्द्रों गोवाहाटी, बेंगलूर और लखनऊ सहित मुख्यालय में प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करने सम्बन्धी व्यवस्था करती है।

10. **अन्य योजनाएं** : *बाल कल्याण :* इनमें, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, विश्व बाल दिवस, भारत विदेशी विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र सहयोग, राष्ट्रीय बाल देखभाल सेवा निधि, अनुसंधान तथा प्रकाशन, सामाजिक अभिरक्षा, जनशिक्षण तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और राष्ट्रीय बाल आयोग शामिल हैं।

11. **स्त्रियों की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम** : इन का उद्देश्य यह है

कि स्त्रियों को अपनी शिक्षा पूरी करने और प्रशिक्षण प्राप्त करके बाद में नौकरियां करने के योग्य बनाया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐच्छिक संगठनों को प्रारंभिक/मिडिल/उच्च स्कूली स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठयक्रमों का आयोजन करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

12. **बालिका समृद्धि योजना** : बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह नयी स्कीम 1997–98 से शुरू की गयी। 1999 में यथा संशोधित इस स्कीम में सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे किसी परिवार में जन्मी दो बालिकाओं तक प्रत्येक को 500 रु. का अनुदान देती है। बालिकाओं द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 500 रु. की राशि ब्याज धारित खाते में किसी बैंक/ डाकघर में जमा कर दी जाती है। ये बालिकाऐं जब वे विद्यालय आरंभ करती हैं तो उन्हें छात्रवृत्तियां भी मिलेंगी जिसे बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

13. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल** : यह सहायता स्वंयसेवी संगठनों, कुछ गैर-सरकारी संगठन, विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकारों को, कामकाजी महिलाओं को उपयुक्त और सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के निर्माण तथा इस प्रयोजन के लिए बने-बनाए हॉस्टलों की खरीद के लिए दी जाती है । वे महिलाएं, जिन की आय 16,000 रुपए (समेकित) से अधिक नहीं है, होस्टल आवास के लिए पात्र हैं।

14. **प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता** : इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता में सुधार करके और उन्हें सुदृढ़ बनाकर कृषि, पशु-पालन, डेयरी उद्योग, मीन उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्राम उद्योगों और रेशम उद्योग जैसे परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य तथा रोजगार को सुदृढ़ करना तथा उनमें सुधार लाना है।

15. **महिला समृद्धि योजना** : यह ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित की जाने वाली एक केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना स्कीम है । इस योजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण युवा महिला को डाकघर में उसका अपना एक 'महिला समृद्धि योजना' खाता खस्ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, उस में वह कोई भी धनराशि, जो वह बचा सकती है, जमा करा सकती है । एक वर्ष में 300 रुपए तक की राशि के लिए एक वर्ष की 'लॉकअप' अवधि में सरकार 25 प्रतिशत का अंशदान करती है । योजना को अब इंदिरा महिला योजना के साथ विलयित किया जा रहा है।

16. **सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के तहत, जरूरत मंद महिलाओं, अभावग्रस्त विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पूर्ण कालिक तथा अल्पकालिक काम के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम और मजदूरी आधार' पर लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, डेयरी, पशुपालन आदि जैसी आय देने वाली गतिविधियों के वृहत किस्में अपनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं ।

17. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड** : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी सेवाएं, और बच्चों, अपंगों, बूढ़ों तथा निर्बलों के कल्याण के लिए स्वंयसेवी संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ।

18. **प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र** : यह स्कीम समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाली स्त्रियों को परम्परागत तथा अपरम्परागत व्यवसायों का प्रशिक्षण देने और तदोपरान्त उन्हें अनवरत आधार पर रोजगार दिलाने के लिए है। योजना को नार्वेजियन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहकारी आंशिक एजेन्सी द्वारा धन राशि दी जाएगी। 2001-2002 के लिए 15 करोड़ रु. के आवंटन में, 5 करोड़ रु. विदेशी सहायता है।

19. **अल्पकालिक गृह** : यह स्कीम महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा और पुनर्वास किए जाने के लिए है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों द्वारा सामाजिक और नैतिक खतरे का सामना कर रही हैं। इस स्कीम में चिकित्सा सम्बन्धी देख-भाल, मनोवैज्ञानिक उपचार, रोगी सम्बन्धी कार्य सेवाएँ, व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियां और सामाजिक सुविधाओं के समायोजन किए जाने की परिकल्पना की गई है।

20. **जागरूकता निर्माण कार्यक्रम (ए.जी.पी.)** : इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के बीच उन के मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए उन की आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाए जाने के उद्देश्य से गतिविधि आयोजित किए जाने की चेतना जागृत करना है। प्रत्येक शिविर के लिए 1,000/- रुपए की राशि प्रदान की गई है।

21. **राष्ट्रीय महिला आयोग** : राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करने के लिए तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी केन्द्रीय और राज्य कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। अपने आदेश के तहत यह कार्यों के अनुरक्षण और निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक सांविधिक निकाय है। 2000-01 में ब.अ. और सं.अ. में 3.50 करोड़ रुपए के और अधिक आबंटन के प्रति ब.अ. 2001-02 में 5.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। अधिकतम प्रावधान महिला अधिकारितावर्ष, 2001 और स्वीकृत अतिरिक्त पदों के भाग के रूप में अपनाई गई गतिविधियों के प्रति है।

22. **स्वशक्ति परियोजना** : यह परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषकर कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं के विकास तथा उनकी शक्ति सम्पन्नता के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए 6 राज्यों में चलायी जा रही है। यह परियोजना एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है तथा इसे सम्बद्ध राज्यों में महिला विकास निगमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। 2001-2002 के लिए 13.50 करोड़ रु. के आवंटन में, 12 करोड़ रु. विदेशी सहायता है।

23. **राष्ट्रीय महिला कोषः** राष्ट्रीय कोष की स्थापना 1993 में 31 करोड़ रुपये की कोरपस निधि से की गयी। कोष द्वारा वर्तमान में गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को छूट रहित ऋण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है तथा अब सुविचारित रूप से कोरपस निधि को बढ़ाने का निर्णय किया जा रहा है।

24. **इन्दिरा महिला योजनाः** इन्दिरा महिला योजना की शुरूआत 1995-96 में देश के 200 ब्लाकों में प्रयोगिक आधार पर की गयी। इन प्रायोगिक ब्लाकों में हुई प्रगति का मूल्यांकन योजना आयोग के साथ संयुक्त रूप से किया गया था निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि नौंवी योजना अवधि में इस कार्यक्रम का विस्तार और अधिक ब्लाकों में किया जाये तथा वर्तमान ब्लाकों में स्कीम को सुदृढ़ बनाया जाये।

25. अन्य कार्यक्रमः महिला कल्याणः इसमें महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य, राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र, महिला शक्ति-सम्पन्नता के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और महिला अधिकारिता वर्ष 2001 के समारोह और कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के संबंध में स्कीम के लिए प्रावधान शामिल है। ब.अ. 2001-02 में वृद्धि महिला आधिकारिता वर्ष 2001 और कठिन परिस्थितियों में महिलाएं नामक, दो नई स्कीमों के कारण हुई है।

26. **अन्य पोषाहार सम्बन्धी स्कीमेंः** खाद्य और पोषणहार बोर्ड का गैर-योजना बुनियादी ढांचा केन्द्र और राज्य स्तरों पर राष्ट्रीय पोषण नीति के निदेशकों के संवर्द्धन के लिए उपाय करता है और विभिन्न स्तरों पर पोषण संबंधी जागरुकता को सृजित करने के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। समुदाय की पोषण संबंधी शिक्षा, पोषण संबंधी प्रर्दशन कार्यक्रमों और फलों व सब्जियों के गृह स्तर पर संरक्षण में प्रशिक्षण के जरिए अपनाई जाती है। निचले स्तर के अधिकारी और उनके प्रशिक्षकों के पोषण समायोजन एकीकृत पोषाहार शिक्षा कैंपों को आयोजित करने और प्रशिक्षण पाठयक्रमों के प्रचालन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व खाद्य दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय विषयों पर जन जागरुकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। देश में क्षेत्रीय भाषाओं में ""पोषण और स्वास्थ्य" पर रेडियो प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। खाद्य पुष्टिकरण, खाद्य विश्लेषण और खाद्य मानकीकरण अनुसंधान और विकास भी अपनाए गए हैं।

विद्यमान कार्यक्रमों में पोषाहार संघटकों को निगमित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को संघटित करने हेतु संबंधित क्षेत्रों के नीति निर्याताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए क्षेत्रीय, राज्य, प्रभागीय और जिला स्तरों पर पोषाहार समर्थन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कुपोषण की समस्या को सर्वांगीण तरीके से सुलझाने के लिए राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः ब.अ. 2001-02 में 4.00 करोड़ रुपए का एक बढ़ा हुआ योजना परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

27. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए है।